न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : जोधूला, **कैम्प दिनांक 06.06.2018**

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 33/2018 **दायर तारीख :–** 04.06.2018

1. नर्बदा देवी पत्नी रामस्वरूप शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी सताना तहसील विराटनगर, जिला जयपुर **—— प्रार्थीया**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर

—— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्थायी सीमा निर्धारण

उपस्थित : श्री झाबर सिंह यादव, अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 06.06.2018

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सताना के खाता संख्या 43 के खसरा नम्बर 1196/37 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थीया के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया ने तहसीलदार के सक्षम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक : भू.अ./2014/1683 दिनांक 02.07.2014 की पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हलका द्वारा दिनांक 07.07.2014 को सीमाज्ञान मौके पर करवा लिया है। प्रार्थीया अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि ग्राम सताना के खसरा नम्बर 1196/37 हैक्टेयर की सीमा का सही विनिश्चयकरण एवं सीमांकन करवाते हुए मौके पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु मय पुलिस जाप्ता पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2072–2075, नकल नक्शा ट्रेस, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 07.07.2014 आदि पेश किये।
4. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट जोधूला में पेश हुई। उपस्थित पक्षकार एवं पैरोकार सरकार को मजमा–ए–आम सुना गया ।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया । ग्राम सताना के खसरा नम्बर 1196/37 हैक्टेयर की

सत्यमेव जयते
Web Copy

खातेदारी प्रार्थीया के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया ने मौके पर दिनांक 07.07.2014 को तहसीलदार विराटनगर के आदेश से सीमाज्ञान करवाया है, प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि को सुरक्षित करना चाहती है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थीया एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थीया की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।

6. प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीया की वर्णित भूमि वाके ग्राम सताना के खसरा नम्बर 1196/37 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। मौके पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु तहसीलदार अपने स्तर से पुलिस जाप्ता प्राप्त कर निर्णय की पालना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट जोधूला दिनांक 06.06.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर